न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/19

1.श्रीमति नोनन्द कंवर पत्नि श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी

--प्रार्थी

बनाम

1. उगमा पुत्र श्री रामनाथ जाति बैरवा
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपूत
3. शिवराजसिंह पुत्र श्री सरदार सिंह राजपूत
4. श्रीराम पुत्र माहराम जाति गुर्जर
5. भैरू पुत्र श्री कजोड़ जाति बलाई
6. मथुरा पुत्र श्री कजोड़ बलाई
7. रतन पुत्र श्री कजोड़ बलाई
   निवासीगण सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
8. तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

–अप्रार्थीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थितः– श्री उम्मेदसिंह राठौड – वकील प्रार्थी
श्री सरकार – वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 4.3.21

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर ग्राम सलारी तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–72 की निम्नवर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करने की प्रार्थना की हैः–

खेवट खतौनी संख्या नयी – पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
204–195	1942 2097	2.23 0.94	बारानी उत्तम बारानी उत्तम

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीयां की खातेदारी कब्जे काश्त, आधिपत्य स्वामित्व की आराजी ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित है । आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है। अलावा किसी दीगर व्यक्ति या अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 का विधिक अधिकार व हक हिस्सा नहीं है तथा अप्रार्थीगण 1 से 7 प्रार्थीयां के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की धमकिया देते है तथा पत्थरगढ़ी के अभाव में सीमा बाबत ... लड़ाई–झगड़ा प्रार्थी से करते रहते है। इसके बाद दिनांक 08.05.2019 को प्रार्थीया ने खेत की हकाई बुवाई करने गयी तो अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 व उनके परिवारजन ने मौके पर पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा के बाबत् विवाद किया तथा लड़ाई झगड़ा करके चले गये। अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रार्थी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवायी जावे। अतः प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवाई जावे ताकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 व उनके परिवारजन प्रार्थीयां से किसी प्रकार का झगड़ा फिसाद नहीं करे। अतः पत्थरगढ़ी व सीमाचिन्ह अंकित किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीयां को सुना गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम सलारी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या नया–पुराना 204–195 खसरा नंबर 1942,2097 रकबा क्रमशः 2.23,0.94 नोनंद कंवर पत्नि बजरंग सिंह हिस्सा 2रु3,सुमनकंवर पत्नि दिग्विजय सिंह,,वन्दना कंवर पत्नि विरविक्रम सिंह कौम राजपूत निवासी सलारी तहसील केकड़ी की खातेदारी की भूमि है। खातेदार को स्वयं की खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढ़ी करवाये जाने का हक अधिकार प्राप्त है। अतः प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार केकड़ी दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाये तथा स्थायी सीमाचिन्ह अंकित करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (जिला अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:19:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner